न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 106/2017 दायरा दिनांक : 11.08.2017

उनवान

1— उमराव सिंह आत्मज श्री चन्दर सिंह, आयु 65 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— सोजान सिंह आत्मज श्री चन्दर सिंह, आयु 45 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— पर्वत सिंह आत्मज श्री राम सिंह, आयु 95 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4— जोरावत सिंह आत्मज श्री राम सिंह, आयु 75 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान :—

4/1— श्याम सिंह आत्मज जोरावत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4/2— गोकुल सिंह आत्मज जोरावत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— बापूलाल आत्मज श्री हिन्दू सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— किशन सिंह आत्मज श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उन्हैल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.11.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम उन्हैल पटवार क्षेत्र उन्हैल तहसील गंगधार की जमाबंदी संख्या 45 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1501 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज थी । जिसमें वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा यह कथन किया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादी क्रम 1 व 2 के पिता श्री हिन्दू सिंह पुत्र अजीत सिंह के कब्जे खाते की भूमि है । रेस्पोडेंट के पिता बापू लाल जब तक जीवित रहे तब तक उपरोक्त जमीन पर काबिज काश्त रहे एवं अनवरत उनका कब्जा काश्त बदस्तूर रहा । रेस्पोडेंट के पिता बापू लाल 85 वर्ष के

वृद्ध व्यक्ति होने से अस्वस्थ्य थे इसलिए उनके द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 2 किशन सिंह जो कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 का पौत्र है उसके पक्ष में मुख्यतयार आम किया गया एवं उपरोक्त जमीन से सम्बन्धित दावे की समस्त कार्यवाहीं अधीनस्थ न्यायालय में करने हेतु अधिकृत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1209 रकबा 5 बीघा था । बन्दोबस्त के बाद नया खसरा नम्बर 1501 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कायम हुआ । मिलान क्षेत्रफल की नकल एवं जमाबंदी सम्वत 2025–28 की नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है । बन्दोबस्त के बाद वादग्रस्त आराजी वादीगण अथवा रेस्पोडेंट की बजाय अपीलांट अथवा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज हो गई जिसके सम्बन्ध में वादीगण को कभी भी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ । अपीलांट को प्राप्त खातेदारी अवैध एवं शून्य है उसमें वादीगण अर्थात् रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाये । प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 30. 06.2014 को प्रस्तुत हुआ इस दिन प्रतिवादी संख्या 4 जुरावर सिंह की मृत्यु हो चुकी थी एवं वाद पत्र मृतक के विरूद्ध पेश किया गया था जिससे डिक्री निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2014 को वाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 04.08.2014, 15.09.2014, 21,10.2014, को कार्यवाही स्थगित रही त्तपश्चात् दिनांक 09.12.2014 को आदेशिका जवाब हेतु रखी गई । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.02.2015 का अवसर जवाब का दर्ज है । दिनांक 23.03.2015 को कन्डोलेन्स रखी गई दिनांक 20.04.2015 को जवाब का अवसर दिया गया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 25.05.2015 को तय हुई । दिनांक 25.05.2015 को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेशी में ली गई एवं दिनांक 22.07.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर में अपीलांट की सुनवायी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों की पूर्ण जांच एवं सुनवायी नहीं की गई । अपीलांट को अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध है एवं खारिज होने योग्य है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी सम्वत 2025–28 की प्रति सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 1209 में हिन्दू सिंह वल्द अजीत सिंह साकिन देह खातेदार दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रति जिसमें खसरा नम्बर 1501 खसरा नबर 1209 से बनना पाया जाता है जिसका रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा है । जमाबंदी सम्वत 2069 – 72 की पेश की गई जिसमें खसरा नम्बर 1501 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार काश्तकार अपीलांट उल्लेखित

है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों की जांच नहीं की गई कि साबिक खसरा नम्बर 1209 रकबा 5 बीघा का है एवं मिलान क्षेत्रफल में 1209 खसरा नम्बर 1501 जो बनना पाया जाता है वह 3 बीघा 2 बिस्वा का है । अतः शेष रकबा किस खसरा के अन्दर शामिल हुआ अज्ञात है । सैटलमेंट के पश्चात उपरोक्त विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज हुई । त्तपश्चात सम्वत 2014 तक रेस्पोडेंट के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पाया जाता है । इतने वर्षों पश्चात बिना तथ्यों की जांच किये बिना, मौका रिपोर्ट प्राप्त किये, बिना तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये, वक्त सैटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी के आधार पर अपीलांट खातेदार काश्तकार का नाम बिना सुनवाई किये एक पक्षीय कार्यवाही कर विलोपित किया जाना विधि सम्मत नहीं है । अपीलांट की खातेदारी में से रकबा कम किया जाना एवं रेस्पोडेंट को उपरोक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिया जाना तथ्यों को साबित किये जाने का अवसर दिया जाना अतिआवश्यक है । अपीलांट उपरोक्त जमीन के लम्बे समय से खातेदार हैं । बिना सुनवायी के जिस प्रकार से एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वह उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे में वर्णित तथ्यों की गहनता से जांच करें अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करे एवं पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा